राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8 वेस्ट पटेल नगर, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

निविदा संख्या : आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस./जीजीएम–एलएस/संविदा–01/2016–17 दिनांक : 11.04. 2016

सानु लाईमस्टोन पर वृक्षारोपण इत्यादि कार्यो हेतु अकुशल श्रमिक लगाना

निविदा प्रपत्र

निविदा जमा कराने की तिथि–समय	....	दिनांक 10/05/2016 अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथी–समय	....	दिनांक 10/05/2016 अपरान्ह 3.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र का मूल्य	....	रु.573/- (ब्रिक्री कर सहित)
स्थान	....	जैसलमेर कार्यालय :– खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास।
निविदा प्रपत्र की बिक्री	....	दिनांक 15/04/2016 से दिनांक 10/05/2016 अपरान्ह 1.00 बजे तक (कार्यालय समय में ,राजकीय अवकाश व रविवार के अतिरिक्त)

जैसलमेर कार्यालय :
खनिज भवन, बी.पी. टेंक के पास
जैसलमेर (राज.) –345001
फोन : 02992–252543,255000
फैक्सः 02992–251394

माईन्स कार्यालय :
सानु लाइम स्टोन माईन्स
53 किमी माइलस्टोन, जैसलमेर–रामगढ़ मार्ग,
जिला जैसलमेर
फोन : 02991–212001, 212338
फेक्स 02991–212034

समूह महाप्रबन्धक (लाईम स्टोन)
जोधपुर कार्यालय की ओर से जारी

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

निविदा संख्या : आर.एस.एम.एम / एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–एल.एस. / जी.जी.एम..–एल.एस. / सविंदा–01 / 2016–17 दिनांकः 11.04.2016

निविदा सूचना

कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र विकय व प्रस्तुत करने की तिथि	धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि एवं अनुमानित लागत
सानु लाईमस्टोन पर वृक्षारोपण एवं अन्य विभिन्न कार्यो हेतु पर्याप्त संख्या में अकुशल श्रमिक लगाकर संबंधित कार्य करवाना।	कम्पनी के जैसलमेर कार्यालय :– खनिज भवन, बी.पी. टेंक के पास, दिनांक 15.04.2016 से 10.05.2016 दोपहर 01.00 बजें तक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 10.05.2016 को अपरान्ह 3.00 बजें तक	धरोहर राशि – रूपये 23, 500 / – निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 573 / – मू.सं. कर (अप्रतिदेय)	कार्य अवधि 2 वर्ष अनुमानित लागत(रु0) 11.75 लाख
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 10.05.2016 अपरान्ह 3.30 बजें जैसलमेर कार्यालय		
सम्पर्क अधिकारी–वरि. प्रबन्धक (अनुबन्ध)	दूरभाष–(0291) 2511031, E-Mail: rsmmjodhpur@rsmm.com		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते website- www.rsmm.com पर देखी जा सकती है । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।			

शर्ते –

1. निविदा प्रपत्र दिनाक **15.04.2016 (प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.30 बजे तक) से दिनाक 10.05.2016 अपरान्ह 1:00 बजे तक** किसी भी कार्य दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के अलावा) **निर्धारित राशि लेखा शाखा जैसलमेर कार्यालय** (खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास) में नकद जमा करवाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफट जो कि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0 के नाम पर जैसलमेर स्थित बैंक में देय हो भेजकर डाक द्वारा भी प्राप्त किये जा सकते हैं । जिसके लिए डाक राशि अलग से देय होगी ।
2. निर्धारित प्रपत्रा में भरी हुई मुहर बन्द निविदाऐ जैसलमेर कार्यालय (खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास) पर स्वीकार की जावेगी एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
3. बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. बिना कारण बताये उपरोक्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रबन्धन के पास सुरक्षित रहेगा ।

समूह.महाप्रबन्धक

एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–लाईम स्टोन

निविदा प्रपत्र

1. कार्यक्षेत्र एवं कार्य का विवरण :

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की सानु लाईमस्टोन माईन्स, जैसलमेर – रामगढ़ रोड़ पर जैसलमेर से लगभग 53 किमी. दूरी पर स्थित है। खान पर प्रतिदिन पर्याप्त सख्या मे मजदूर लगाकर निम्न लिखित कार्य सम्पन्न कराना।

1. **वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्य** ; सम्पूर्ण खान क्षेत्र में पौधारोपण कार्य, नये तथा पुराने पौधों को नियमितरुप से पानी पिलाना तथा उनका नियमित रखरखाव एवं उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य करना इत्यादि ।
2. **अन्य विविध कार्य :** ओवर हेड टैंक (सिन्टेक्स), अण्डरग्राउन्ड वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर

कूलर, वाटर फिल्टर, नल पाईप चैक करना, नल पाईप लिंकेज मरम्मत कार्य, वाटर टैंक के नलो से पानी का संचालन व केन्टीन टैंक (सिन्टेक्स) व ओवर हेड वाटर टैंक (वे ब्रिज नं. 2 के पास) का मरम्मत एवं सफाई कार्य तथा खान में लगे सभी तुला यंत्रों के सफाई का कार्य प्रति/वार/माह व प्रशासन विभाग अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा बताये अनुसार सफाई कार्य इत्यादि करना ।

क. संख्या	कार्य का विवरण	सफाई आवर्ती	संख्या/मात्रा
1	ओवरहेड टैंक (सिन्टेक्स) क्षमता 20,000 ली. की सफाई	माह में एक बार	एक टैंक
2	अन्डरग्राउन्ड वाटर स्टोरेज टैंक की सफाई	माह में एक बार	एक टैक
3	केन्टीन टैंक (सिन्टेक्स) क्षमता 5,00 ली. की सफाई	माह में दो बार	दो टैक
4	ओवर हेड टैंक (वे–ब्रीज नं. 2 के पास) क्षमता 1,00,000 की सफाई	तीन माह में एक बार	एक टैक
5	वाटर कूलर	प्रति सप्ताह	तीन वाटर कूलर
6	वाटर फिल्टर	सप्ताह में तीन बार	तीन वाटर फिल्टर
7	तुला यंत्रों के प्लेट फार्म के उपर की सफाई	सप्ताह में एक बार	तीन तुला यंत्र
8	तुला यंत्रों के प्लेट फार्म के अन्दर की सफाई	तीन माह में एक बार	तीन तुला यंत्र
9	नल पाईप चैक, वाटर टैंक स्थित पंप का संचालन, पाईप लीकेज मरम्मत इत्यादि कार्य।	पूरे सप्ताह	–

खान पर आवश्यक प्रतिदिन न्युनतम मजदूरों की सख्या :–

1. कार्य विवरण क्रमांक 1 व 2 को समुचित प्रकार से सम्पन्न कराने हेतु प्रतिदिन न्यूनतम 6 अकुशल श्रमिक लगाना।

अनुबंधकर्ता को कम्पनी की आवश्यकतानुसार उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु अतिरिक्त श्रमिक भी उपलब्ध करवाना होगा जिसका भुगतान स्वीकृत की गई कार्य दर से किया जायेगा।

2.0 निविदाकर्ता के लिए निर्देष :

2.1 हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में भरी जानी चाहिए।

2.2 निविदाकर्ता का नाम, पता, टेलिफोन नं0 इत्यादि की जानकारी प्रारूप परिशिष्ट–1 में संलग्न करना आवश्यक है। पेनकार्ड, व सर्विस टैक्स से संबंधित सत्यापित दस्तावेज की फोटो प्रति ।

2.3 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय मोहर होने चाहिए।

2.4 निविदा एक सीलबन्द लिफाफे में रखकर, जिस पर उप महाप्रबन्धक (खनन), लाईमस्टोन यूनिट, राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास, जैसलमेर, निविदा संख्या तथा उसे खोलने की तारीख लिखी हो, जमा करावें।

2.5 अपूर्ण, अस्पष्ट, अपाठ्य तथा शर्तों के साथ भरी गई निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2.6 निविदाकर्ता द्वारा निविदा भर कर जमा कराने पर यह माना जायेगा कि उसने निविदा की सभी शर्ते, प्रतिबन्घ तथा अन्य समस्त बातें अच्छी तरह समझ ली है। तत्पश्चात् निविदाकर्ता का कोई भी अतिरिक्त भुगतान का दावा इस बहाने मान्य नहीं होगा कि निविदा का कोई विशेश बिन्दु उसे स्पष्ट नहीं था।

2.7 निविदांए दिनांक 10.05.2016 को अपरान्ह **3.00** बजे तक स्वीकार कर उसी दिन अपरान्ह **3:30 बजे** हमारे जैसलमेर स्थित कार्यालय खनिज भवन बी.पी. टैंक के पास में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

2.8 कम्पनी को यह सम्पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर दे अथवा समस्त निविदाओं को ही अस्वीकृत कर दें। साथ ही कम्पनी पर यह कोई बन्धन नहीं होगा कि वह न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार न करने का कोई कारण स्पष्ट करे।

2.9 निविदाकर्ता **कार्य करने की दर** (सेवा कर रहित) इस प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारुप **परिशिष्ठ–3** भरे। स्वीकृत की गई कार्य करने की दर संपूर्ण अनुबन्ध अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय रहेगी।

2.10 न्यूनतम निविदा दर का निर्धारणः– सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । न्यूनतम दर का निर्धारण निविदाकारों के न्यूनतम प्रस्ताव (L_1) को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा तथा जिस निविदाकार का दर प्रस्ताव प्रारुप परिशिष्ठ–3 में दैनिक आधार पर न्यूनतम होगा उसी को ही कम्पनी द्वारा इस निविदा का कार्य आदेश जारी किया जावेगा।

2.11 नेगोशियेशन :–

2-11.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L_1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोि ायेि ान किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्प चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता हे।

2-11.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होर्गा

2-11.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति /अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें कि यह स्प ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित /बदलने के लिए प्राधिकृत है। इसमें निविदाकर्ता को किसी प्रकार का उज्र नहीं होगा।

2.12 निविदाकर्ता की ऑफर, निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक वैद्य मानी जायेगी, इस समय सीमा में निविदाकर्ता निविदा को न तो रद्द कर सकता न ही वापस ले सकता है तथा न ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ऐसा करने पर निविदाकर्ता की धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जावेगी।

2.13 **धरोहर राि ा (अर्नेस्ट मनी) निविदाकर्ता** को निविदा के साथ 23, 500/– रूपये की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में, जो कि आर0 एस0 एम0 एम0 लि0, जैसलमेर के नाम से देय हो जमा कराने होंगे, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। बिना धरोहर राशि निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि, सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी होने के पश्चात लौटा दी जायेगी तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । सफल निविदाकर्तों की धरोहर राशि को अमानत राशि में समायोजित किया जा सकेगा ।

3.0 <u>कार्य से संबंधित विषेश भार्ते एवं प्रतिबन्ध</u> :–

3.1 जिस निविदाकर्त्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य संपादन करवाने हेतू कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक कॉपरेटिव सोसायटी बनानी होगी तथा उस कॉपरेटिव सोसायटी को राजस्थान कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट 1965 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना होगा।

3.2 प्रत्येक कार्य दिवस पर सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव अथवा अन्य कोई अधिकृत प्रतिनिधि अथवा सुपरवाईजर खान पर उपलब्ध होना चाहिए जो कि प्रभारी अधिकारी से कार्य संबंधित निर्देश प्राप्त कर सके तथा सुचारू रूप से कार्य संपादित करवा सके। प्रत्येक कार्य दिवस पर

न्यूनतम 6 अकुशल श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध रहने चाहिए एवं आवश्यकता होने पर अतिरिक्त श्रमिक भी उपलब्ध कराने होंगे।

3.3 कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का पूर्ण विवरण खान प्रबंधक कार्यालय में रखे बी रजिस्टर में, इन्द्राज करवाना होगा।

3.4 महिला श्रमिक अथवा 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगायेंगे।

3.5 कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व निविदाकर्त्ता का स्वयं का होगा तथा किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी की होगी तथा उसे स्वयं के खर्च पर ही उन्हें समस्त आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराने होगे।

3.6 वर्षा ऋतु/मानसून के दौरान आवश्यकतानुसार प्रतिदिन खान प्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार अतिरिक्त श्रमिक भी कार्य पर लगाने होंगे ।

3.7 प्रत्येक कार्य दिवस पर आवश्यकतानुसार मजदूर उपलब्ध कराने होंगे। यदि किसी दिन पर्याप्त मजदूरों के अभाव मे कार्य में रूकावट उतपन्न होती है तो जुर्माना स्वरूप आपके मासिक बिल में से रू. **1000**/– प्रति कार्य दिवस के हिसाब से कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी को यह भी अधिकार होगा कि आयश्यकतानुसार अकुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं कराने के कारण कार्य में रुकावट को रोकने के लिये अनुबंधकर्ता की जोखिम पर वास्तविक लागत पर श्रमिक लगा सकेगें और इस स्थिति में जो भी व्यय कंपनी द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था पर किया जायेगा उसकी पूर्ण कटौती अनुबंधकर्ता के मासिक बिल में से किया जाएगा।

3.8 निविदाकर्त्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कार्य पर लगाये गये प्रत्येक मजदूर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिकों हेतु देय न्युनतम मजदूरी का भुगतान अदा करें । ऐसा नहीं करने पर वास्तविक भुगतान व न्युनतम मजदूरी के भुगतान का अंतर कम्पनी द्वारा किया जा कर निविदाकर्त्ता के मासिक बिल से वसूल किया जा सकेगा ।

3.9 **कार्य की अवधि** उपरोक्त कार्य की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी।

3.10 प्रत्येक कार्य दिवस पर लगाये गये श्रमिकों की संख्या एवं उनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सत्यापित कराना होगा तथा इसकी प्रतिलिपी मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

3.11 **कार्य का भुगतान** किये गये कार्य का भुगतान महिने में एक बार किया जायेगा। जिसके लिए बिल हर माह की समाप्ति पर 10 तारीख तक एक नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सामान्यतया बिल प्रस्तुत करने के 15 दिवस के अन्दर भुगतान करने का प्रावद्यान है। सेवा कर का पुर्नभरण सेवा कर जमा करवाने के तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने के आधार पर ही किया जायेगा ।

3.12 कार्य स्थल पर नियुक्त सक्षम व्यक्ति के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

3.13 अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य की दर अपरिवर्तनीय रहेगी । परन्तु भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक की दर में परिवर्तित होने पर निविदा में उल्लेखित दर के अनुसार दर परिवर्तनीय होगी । भरी गई दरें सभी प्रकार के खर्चे व सरकार द्वारा समय समय पर लगाये गये कर सहित (सेवा कर छोंडकर) होगी तथा इनमें किसी भी प्रकार की वृद्धि होने की दशा में भरी गई दर अपरिवर्तनीय रहेगी।

3.14 <u>भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक दरों में परिवर्तन होने पर</u>

अनुबंध की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक दर में कोई परिवर्तन किया जाता है अर्थात न्युनतम अकुशल श्रमिक की दरों में बढोतरी या कमी होती है तो आनुपातिक रूप से बढोतरी या कमी की जावेगी । निविदा जारी होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिकों को देय दैनिक न्युनतम मजदूरी की प्रचिलित दर रु. 211.00 है ।

3.15 कार्य की अवधि के दौरान निविदाकर्ता को निर्धारित दर के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जायेगा । निविदाकर्ता को कार्य के दौरान लगाए गए श्रमिकों को न्युनतम मजदूरी की दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिसे कंपनी के द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी के उपस्थिति में करना होगा।

3.16 किसी कार्य दिवस पर आप द्वारा कार्य ना कर पाने की स्थिति में उपरोक्त कार्य कंपनी स्वयं अपने स्तर पर निविदाकर्ता की जोखिम एवं लागत पर सम्पादित करवायेगी तथा इस पर आने वाला समस्त व्यय आपके बिल या सिक्युरिटी डिपोजिट में से काट लिया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त जुर्माना स्वरूप रूपये 1000/– प्रति कार्य दिवस के हिसाब से भी आपके मासिक बिल में से काटे जायेंगे।

3.17 किसी भी निर्णय या स्पष्टीकरण के लिए निविदाकर्ता कार्य नहीं रोकेगा एवं प्रभारी अधिकारी/अधिकृत अधिकारी के निर्दे ाानुसार कार्य करता रहेगा।

3.18 किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कंपनी के समूह महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

3.19 कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले औजारों जैसे की फावड़ा, गैंती, तगारी, बेलचा, कुल्हाडी इत्यादि के खरीद व भण्डारण की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को स्वयं करनी होगी।

4.0 <u>सफल निविदाकर्त्ताओं के लिए सामान्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u>

4.1 सिक्युरिटी डिपोजिट (अमानत राशि)

4.1.1 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे अनुबन्ध राशि का 5 प्रतिशत भाग सिक्युरिटी डिपोजिट के रूप में जमा कराना होगा। सफल निविदाकर्ता हेतु निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि को सिक्युरिटी डिपोजिट में समायोजन कर दिया जायेगा। शेष राशि को कार्यादेश जारी होने के 15 दिन के भीतर नकद जमा करानी होगी।

4.1.2 सिक्युरिटी डिपोजिट पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

4.1.3 सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य न करने, या संतोषजनक रूप से कार्य न करने की परिस्थिति में कम्पनी को यह संपूर्ण अधिकार होगा कि वह सिक्युरिटी डिपोजिट का कुछ अंश या संपूर्ण राशि जब्त कर लें।

4.1.4 सफल निविदाकर्ता द्वारा संतोषजनक रूप से अनुबन्ध की अवधि में कार्य पूरा करने पर, अनुबन्ध के दौरान किसी भी प्रकार का शुल्क कर्मचारियों के वेतन भत्ते या अन्य भुगतान बाकी न होने एवं नो डयूज नो क्लेम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के बाद ही सिक्युरिटी डिपोजिट को अनुबन्ध समाप्ति के 3 माह बाद वापस लौटाया जा सकेगा।

4.2.0 **कर कटौती** : सफल निविदाकर्ता के मासिक बिलों में से आयकर तथा अन्य वैद्यानिक कटौतियां नियमानुसार प्रचलित दर के अनुसार होगी। सेवा कर जमा करवाने का दायित्व

निविदाकर्ता का होगा सेवा कर का पुर्नभरण सेवा कर जमा कराने के तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने के आधार पर ही किया जायेगा । निविदाकर्ता निविदा के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कराना आव यक हैं ।

4.3.0 **कानूनी एवं वैद्यानिक आवश्यकताऐं** :– सफल निविदाकर्ता को माइन्स एक्ट 1952 तथा इसके अन्तर्गत रूल्स एवं अन्य रेगूलेशन्स, वर्कमेन्स कम्पेंशेसन एक्ट 1923, एम्प्लोइज प्रोविडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952, पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 कोन्ट्रेक्ट लेबर (रेगूलेशन एण्ड एबोलिशन)एक्ट 1970, पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट 1936, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इण्डस्ट्रीयल डिस्पियुट एक्ट 1947, इण्डस्ट्रियल एम्पलोयमेंट (स्टेडिंग ओर्डर्स) एक्ट तथा इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त केन्द्रीय या राज्य अधिनियम, नियम एवं रेगूलेशन्स का पालन करना होगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी लेबर रेगूलेशन्स/संशोधन आदि का भी पालन करना होगा। उपरोक्त नियमों के पालन करने में असमर्थ रहने की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है । राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 एवम् राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न ऐनेक्सर्स संलग्न किए हैं:–

Annexure-A:	Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure-B:	Declaration by the Bidder regarding Qualifiations.
Annexure-C:	Grievance Redressal during Procurement process & form No. 1.
Annexure-D:	Additional Conditions of Contract.

नोट: Annexure-B में निविदाकर्ता द्वारा घोशणा किया जाना आव यक है।

4.4.0 **अनुबन्ध समाप्त करने बाबत** :–

4.4.1 इस अनुबन्ध में वर्णित किसी शर्त अथवा प्रतिबन्ध का पालन करने में असमर्थ रहने पर कंपनी नोटिस द्वारा सूचित करेगी कि वह इसे 15 दिवस के भीतर भीतर ठीक कर दें। इस समय सीमा में अगर निविदाकर्ता उपरोक्त शर्तो या आव यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें तथा कंपनी को इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का हर्जाना निविदाकर्त्ता की सिक्युरिटी डिपोजिट जब्त करके व/अथवा ठेकेदार को किये जाने वाले अन्य भुगतान में से वसूल करें।

4.4.2 यदि प्रभारी अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना लगातार 7 दिन कार्य बंद रहता है तो कंपनी को यह पूरा पूरा अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें।

4.4.3 कंपनी को यह पूरा अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए, 30 दिन की पूर्व सूचना (नोटिस) पर इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें। निविदाकर्ता ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावे या हर्जाने का हकदार नहीं होगा।

4.4.4 राज्य सरकार/सरकारी विभाग या किसी न्यायिक आदेश की अनुपालना में यदि प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से यदि कार्य नहीं किया जाता है अथवा खनन प्रक्रिया या उससे जुड़े कार्य बंद करने पड़ते है तथा उसी क्रम में यदि कंपनी को बिना पूर्व

सूचना के यह अनुबन्ध समाप्त करना पड़ता है तो निविदाकर्त्ता ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावे या हर्जाने का हकदार नहीं होगा।

4.4.5 **न्याय क्षेत्र :** इस अनुबंध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जैसलमेर न्यायालय ही रहेगा।

4.4.6 **सब लेट (Sub letting):** निविदाकर्ता कार्य को पूर्ण या आंशिक रुप से किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा । इस शर्त की अवहेलना करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा अनुबन्ध को समाप्त कर अनुबन्धकर्ता की अमानत राशि को जब्त किया जा सकेगा ।

समूह महाप्रबन्धक
एस.बी.यू. व पी.सी. लाईम स्टोन,

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए।

क सं	**विवरण**	**निविदाकर्ता स्वयं भरे**
01	वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं व राशि	बैंक का विवरण... डिमाण्ड ड्राफ्ट सं .... राशि........................... दिनांक ....
02	निविदाकर्ता का नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन नं.	नाम.. पता.. ....
03	क्या वर्तमान में आप इस तरह का कार्य कर रहे है या किया हुआ है यदि हॉ तो पूर्ण विवरण देवें ।	
04	पेनकार्ड नम्बर की फोटो प्रति	
05	सर्विस टैक्स नम्बर की फोटो प्रति	

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

दिनांक :
संलग्न :–

Bank Details of Tenderer for RTGS/NEFT/Online refund of EMD

Sl.No.	Description	Details
1	Name of Tenderer	
2	e-mail ID	
3	Mobile no.(for SMS)	
3	Bank Account No.	
4	Banker details: a) Name b) Branch No. c) Address	
5	Type of A/c : Saving / Current / CC/ any other	
6	IFSC code	

Name & Signature of Tenderer
with seal

कार्य करने की दर

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

एस.बी.यू. व पी.सी. लाईम स्टोन

खनिज भवन, बी.पी. टेंक के पास, जैसलमेर (राज.)

निविदा संख्या : आर.एस.एम.एम / एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–एल.एस. / जी.जी.एम..–एल.एस. / सविंदा–01 / 2016–17 दिनांकः 11.04.2016

1. अनुबन्ध अवधि : कार्य आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक
2. निविदाकर्त्ता का नाम एवं पता (पत्र व्यवहार हेतू) :– ....फोन / फैक्स : (एस.टी.डी. कोड सहित) ....ई मेल आई डी............................
3. धरोहर राशि जमा कराने के बाबत विवरण :– ....
4. कार्य करने की दर :

कार्य का विवरण	कार्य करने की दर
वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्य को संपादित कराने; पानी का संचालन व केन्टीन टैंक (सिन्टेक्स) व ओवर हेड वाटर टैंक (वे ब्रिज नं. 2 के पास) की सफाई एवं लीकेज कार्य तथा तुला यंत्रों के प्लेट फार्म के उपर व नीचे की सफाई कराने हेतु पर्याप्त सख्या मे श्रमिक लगाकर कार्य सम्पन्न कराना	दर प्रति श्रमिक प्रति दिन (सेवा कर की दर रहित) (अंकों में) ....रूपये (ाब्दों में)..रूपये. .

नोट;– निविदा जमा करने की तिथि के दिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिकों को देय दैनिक न्युनतम मजदूरी की प्रचलित दर रु. ....।

1. निविदाकर्ता द्वारा भरी गई दर स्थायी एवं नियत होगी एवं यह अनुबंध अवधि के दौरान दर अपरिवर्तनीय होगी । परन्तु भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक की दर परिवर्तित होने पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 3.14 के अनुसार दर परिवर्तनीय होगी ।
2. प्रत्येक कॉलम में दरें शब्दों एंव अकों में होनी चाहिए। शब्दों एंव अकों में लिखी गई दरों में अन्तर होने पर न्यूनतम दर ही मान्य होगी ।
3. मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्ते मुझे / हमें स्वीकार है । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक निविदा प्रपत्र के पृष्ठ पर अपने / फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.................................
निविदाकर्ता का नाम मोहर...

दिनांक ....

ANNEXURE-A

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a contractor in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/contractor for the contract.

ANNEXURE-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted For procurement in response to Notice Inviting Bids I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date **Signature of bidder**

Place **Name:**

Designation:

Address:

Annexure-C

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Mines & Petroleum,
Secretariat,
Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Finance,
Secretariat,
Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………. of …………………………….
Before the …………………………….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: ………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………..
   Place …………………………..
   Date …………………………..
   Appellant's Signature

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.